क्रम ा तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
18/22	अभिलेख उपस्थापित। कैलाश कुमार, पिता-स्व0 बिरजू धोबी, ग्राम-कुदुमसुकरी, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-ईचाक, ग्राम-गिरही, थाना नं0-45, खाता संख्या-102, प्लॉट संख्या-8, 303, 402, 577, रकवा-6.37डी0, 32.63डी0, 4.37डी0, 9.38डी0 कुल रकवा-52.75 डी0 भूमि जुगल राम, पिता-छट्टू राम, ग्राम-चन्दवारा, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 29/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, ईचाक से की गई। अंचल अधिकारी, ईचाक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि - क्रेता जुगल राम एवं विक्रेता कैलाश कुमार अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 219.25 एकड़ भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में चुटर बेढ़ा वल्द ललीत बेढ़ा के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 165/I पर चुटर बेढ़ा के नाम से जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022-2023 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। अंचल अधिकारी, ईचाक द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता कैलाश कुमार का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/327548 दिनांक-11.12.2020 एवं अंचल अधिकारी, ईचाक, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/70571 दिनांक-10.02.2021 और क्रेता जुगल राम का अंचल अधिकारी, ईचाक, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2021/76437 दिनांक-01.02.2021 एवं अंचल अधिकारी, ईचाक, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/65789 दिनांक-06.01.2021 के आधार पर तथा अंचल	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अधिकारी, ईचाक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-ईचाक, ग्राम-गिरही, थाना नं0-45, खाता संख्या-102, प्लॉट संख्या-8, 303, 402, 577, रकवा-6.37डी0, 32.63डी0, 4.37डी0, 9.38डी0 कुल रकवा-52.75 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.08.17 17:19:36 +05:30
Location: 192.168.100.2